न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :– 34 ~~10~~/2023

उनवान

1. गुड्डी देवी सैनी पत्नी कैलाश सैनी, जाति–माली
2. दूर्गा देवी पत्नी बोदूराम सैनी, जाति–माली
3. निर्मला देवी पत्नी अजय कुमार, जाति–माली
4. रेखा सैनी पत्नी मुरारी लाल सैनी, जाति–माली
5. रूडी देवी पत्नी जगदीश, जाति–माली
6. सुमन देवी सैनी पत्नी रोहिताश, जाति–माली
7. हनुमान पुत्र नाथूदास, जाति–स्वामी
8. श्रवणदास पुत्र नाथूदास, जाति–स्वामी

समस्त व्यस्क, निवासीयान–बाडीजोडी, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2 सुगन कंवर पत्नी मूलसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा
3 आंची देवी पुत्री कालूराम
4 कमली पत्नी हरसहाय
5 खेमचन्द पुत्र कालूराम
6 गीता देवी पुत्री कालूराम
7 गोवर्धन लाल पुत्र चूनाराम
8 जगदीश पुत्र स्व0 हरसहाय
9 ज्याना देवी पत्नी कालूराम
10 बोद्या पुत्र चून्या
11 भीवाराम पुत्र कालूराम
12 ममता पुत्री हरसहाय
13 महेश पुत्र स्व0 हरसहाय
14 रामनारायण पुत्र कालूराम
15 सुमन पुत्री हरसहाय

समस्त व्यस्क, समस्त जाति–माली, समस्त निवासीयान–बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

16 चौथू पुत्र घासीदास
17 शिम्भू पुत्र घासीदास

समस्त व्यस्क, समस्त जाति–स्वामी समस्त निवासीयान–बाडीजोडी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

18 सन्तोष देवी पत्नी मालीराम

जाति माली, निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

तरतीबी अप्रार्थीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 7/7/2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 802 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/सीमा/ 2023/ 01 दिनांक 17.4.2023 की पालना में 19.4.2023 को पटवारी हल्का बाडीजोडी के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 19.4.2023 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर सीमा विवाद करने के कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद [redacted] को कोई उपस्थित नहीं आये । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.4.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में सीमा विवाद करने पर आमादा रहते है, इसलिए प्रांर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 19.4.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 802 रकबा 0.35 है0, वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 19.4.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ......7/7/2023.... को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर